Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में राजस्व पटवारी 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 फरवरी, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली इकाई द्वारा आज पाली में कार्यवाही करते हुये आशीष मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल लापोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी पुश्तैनी जमीन के राजस्व रिकार्ड में अंकित जाति का दुरूस्तीकरण करने की एवज में आशीष मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल लापोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **श्री कैलाशचन्द्र बिश्नोई, उप महानिरीक्षक पुलिस, एसीबी जोधपुर** के सुपरविजन में एसीबी की पाली इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री नरपत चंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आशीष मीणा पुत्र श्री फेलीराम, निवासी धनावड, तहसील बसवा, जिला दौसा हाल पटवारी, पटवार मण्डल लापोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।